न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 84/2021 बउनवानी काशी सिंह राजपूत बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी पुत्र श्री सुरजन सिंह राजपूत निवासी मच्छीपुरा तहसील गंगापुर सिटी

GCMS No-2021/264

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
27.10.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 10.8.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. श्रीमान जी की निगरानी मे भ्रष्टाचार की जॉच मे श्रीमान तहसीलदार जी द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2020/2173 दिनांक 22.12.2020 जॉच मे भ्रष्टाचार का हवाला नही है जो जॉच भ्रष्टाचार की नही है कृपा कर भ्रष्टाचार की जॉच की सत्यप्रति दिलाने की कृपा करे।
2. उक्त क्रमांक की भ्रष्टाचार जॉच मे विवादित कृषि भूमि में विपक्षीयों के पूर्व मे ही मकान, बाडे, किस आधार पर बताये जा रहे है। विवाद मे विपक्षी द्वारा बहुत देर से पेश जवाब दावा मे मकान बाडो का कोई उल्लेख नही है जिस आधार की पूर्व में ही विवादग्रस्त कृषि भूमि मे मकान बाडे थे। सत्य जानकारी दिलाने की कृपा करे।
3. उक्त क्रमांक मे माननीय न्यायालय की पालना में वाद ग्रस्त कृषि भूमि मे विपक्षीयो को पाबंद करना बताया है फिर खसरा नम्बर 254 मे हरिओम पुत्र मूली ने साईड मे निर्माण किस नियम से किया है एवं उसके पुत्र हेमराज ने मकान निर्माण एवं टीन शेड किस नियम से डाला है एवं हाल ही सरकारी राशि से विधुत चालित हेण्डपम्प किस नियम से लगाया है कि सम्पूर्ण जानकारी सत्यप्रति दिलानेकी कृपा करे।
4. खसरा नम्बर 256 मे माननीय न्यायालय के स्टे के बाद विश्राम, मीठया पुत्र जयराम माली ने पक्का निर्माण किस नियम एवं किस हक से किया है। सत्य जानकारी देवे।
5. खसरा नम्बर 258 मे रामफूल पुत्र मूली माली ने माननीय न्यायालय के स्टे के बाद पक्का निर्माण एवं लेट्रीन किस नियम से बनाई है की सत्य जानकारी देवे।
6. रास्ता गैर मुमकिन ख0न0 229 मे ग्राम पंचायत द्वारा गलत रूप से भराई गयी मिटटी को निकलवाने पर आवागमन किस आधार से सुचारू नही रहेगा एवं परेशानी किन्हे रहेगी की सत्यजानकारी दिलाने की कृपा करे। रास्ता प्रार्थी एवं अन्य राजपूतो की कृषि भूमि को ही जा रहा है जिन्होने रास्ते से कोई समस्याओं की शिकायत ग्राम पंचायत अमरगढ को नही की गयी जिस भ्रष्टाचार की जॉच की सत्य जानकारी दिलाने की कृपा करे।
7. सुखराम ने पुत्र हेमन्त का बाल विवाह करना स्वीकारा है जिसकी जन्मतिथी दिनांक 2.5.2001 सोपी है जिसकी सूचना रूकवाने की दे दी गयी फिर भी किस नियम से हुआ जिस पर की गयी कार्यवाही की एवं भ्रष्टाचार की सत्य जानकारी दी जावे।
8. खाद,बीज कीटनाशक दवा की दुकान पुत्र हेमन्त के नाम से है जो नियमानुसार की है या नही के रजिस्ट्रेशन की जॉच नियमानुसार की है या जॉच के भय से बाद मे की है प्रति की सत्य जानकारी दिलाने की कृपा करे। दुकानकी शिकायत पर अनियमितता मिली उस पर की गयी कार्यवाही की जानकारी दिलाने की कृपा करे।
9. जिला कलेक्टर महोदय सवाईमाधोपुर के पत्र क्रमांक राजस्व/मु.म./2019/2146 दिनांक 24.6.2020 एवं क्रमांक राजस्व/विविध/2019/6142 दिनांक 30.12.2019 पर की गयी कार्यवाही की जानाकारी नही दिलाई केवल निर्देश की प्रतिया एवं प्रार्थी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय को उनके पुत्र श्री वेभव गहलोत के नाम प्रेषित की गयी प्रार्थी की प्रार्थना की ही प्रतिया दिलाई है प्रतियों पर की गयी कार्यवाही की जानकारी दिलाने की कृपा करें।
10. इस प्रार्थना पत्र की भी चाही गयी सूचना के साथ छायाप्रति दिलाने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:53:20 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः/ आरटीआई/2021/58 दिनांक 14.10.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.8.2021 के बिन्दु संख्या 1,2,3 का संबंध तहसीलदार गंगापुर सिटी से तथा बिन्दु संख्या 8 की सूचना का संबंध सहायक निदेशक कृषि विस्तार गंगापुर सिटी से होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उपजिला कलेक्टर कार्यालय गंगापुर सिटी के पत्रांक 3536 दिनांक 18.8.2021 द्वारा संबंधितो को अन्तरित किया जा चुका है तथा शेष बिन्दु संख्या 4,5,6,7 की सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है तथा बिन्दु संख्या 9,10 की सूचना के लिए 22/—रू जमा करवाने हेतु जरिये पत्रांक 56 दिनांक 9.9.2021 से अपीलान्ट को लिखा गया था किन्तु अपीलान्ट द्वारा शुल्क जमा नही करवाने के उक्त बिन्दु की सूचना भी अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 10.8.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 9.10 की सूचना के लिए 22/—रू जमा करवाने बाबत उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के पत्र दिनांक 9.9.2021 को लिखा गया है जो अधिनियम की तय समय सीमा के अन्तिम दिवस मे लिखा गया है इसलिए उक्त उक्त दोनो बिन्दुओ की सूचना अपीलान्ट को निःशुल्क उपलब्ध करवायी जाने हेतु उपजिला कलेक्टर को निर्देशित किया जाता है। बिन्दु संख्या 4,5,6,7 पर चाही गयी सूचना यद्यपि प्रश्नात्मक है किन्तु न्यायहित मे तहसीलदार गंगापुर सिटी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त बिन्दुओं मे चाही गयी सूचना यदि कार्यालय रिकार्ड पर पर संघारित हो तो अपीलान्ट को 15 दिवस मे उपलब्ध करवायी जावे। बिन्दु संख्या 8 की सूचना का संबंध कृषि विभाग से है इसलिए यदि उक्त बिन्दु की सूचना प्राप्त नही हुई है तो संबंधित सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत करने हेतु अपीलान्ट स्वतंत्र है। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो[illegible] दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:53:20 IST
Reason: SelfAttested

([illegible] किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर